

न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, त्यांथर,
जिला रीवा म0प्र0
(समक्ष: अमित मालवीय)

Registration No.RCSA/155/2019

Filing No. 337/2019

CNR: MP1707001814/2019

Filing Date-19-08-2019

मनमोहन कोल वगैरह

.....वादीगण

बनाम

कन्हैयालाल बसोर वगैरह

.....प्रतिवादीगण

आदेश

(आज दिनांक 22.09.2022 को पारित किया गया)

01- इस आदेश के द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 सी0पी0सी0 का निराकरण किया जा रहा है।

02- वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन इस प्रकार है कि आराजी नंबर 7/2 रकवा 11.22ए0 स्थित मौजा खटखरी खुर्द राजस्व निरीक्षक मण्डल गढी तहसील त्यांथर जिला रीवा म0प्र0 शासन म0प्र0 की भूमि है जिसकी किस्म बंजर व पथरीली भौटी की है जो कृषि कार्य के लिए बिल्कुल ही अनुपयोगी भूमि है जिसमें किसी भी किस्म की खेती किया जाना संभव नहीं है। आराजी नंबर 7/2 में वादीगण अर्सा लगभग

60—70 वर्ष पूर्व से मकान बनाकर आबाद हैं तथा पत्थर की खखरी बनाये हुए हैं। इसी खाली जमीन को देखकर म0प्र0 शासन द्वारा पट्टा दिया गया था, किंतु प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादीगण से सहज रंजिश रखने की वजह से वादीगण की आबादी व निस्तार की आराजी का नक्शा तरमीम अपने हक में करा लिया है जिससे प्रतिवादी क्रमांक 01 को कोई हक हासिल नहीं होते हैं। आराजी क्रमांक 7 में वादीगण के बाबागण 60—70 साल पहले आबाद हुए थे जो अपने जीवनकाल तक उक्त आराजी पर आबाद रहे तथा बाबा के मृत्यु के बाद वादीगण के पिता तथा पिता की मृत्यु के बाद अब वादीगण आबाद व निस्तार कर रहे हैं।

03— प्रति0क्र01 ने पटवारी से मिलकर इस पथरीली भूमि का बटांकन अपने नाम करा लिया जबकि बटन हेतु जारी किए गये पट्टो में यह स्पष्ट निर्देश है कि पट्टा ग्रहीता इस बंटन में प्राप्त भूमि का उपयोग कृषि कार्य के अलावा अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे। प्रति0क्र01 द्वारा राजस्व न्यायालय में वादीगण के कब्जे दखल वाले भाग को नक्शा तरमीम कराकर एंव बेदखली का प्रकरण न्यायालय तहसीलदार त्यांथर वृत्त गढी के न्यायालय में संस्थित किया जिसकी जानकारी होने पर वादीगण ने राजस्व न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत किया किंतु राजस्व न्यायालय द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। प्रतिवादी क्र01 वादीगण की खखरी कई बार गिराने का प्रयास कर चुका है तथा वादीगण के कब्जे दखल में हस्तक्षेप कर रहा है। प्रतिवादी क्रमांक01 के नाम आराजी नंबर 7/2 के जुज रकवा 0.900 हे0 भूमि का बंटन हुआ था जिसका नया भूखण्ड क्रमांक 7/2/ड हो गया है, यही भूखण्ड प्रकरण में विवादित है। वादग्रस्त भूमि पर प्रति0क्र01 कोई कब्जा दखल

नहीं है ऐसी स्थित में बंटन हो जाने से प्रति0क्र01 को कोई हक प्राप्त नहीं होता। अतः आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रतिवादीगण को निषेधित किये जाने का निवेदन किया गया कि वह वादीगण के कब्जे दखल में कोई हस्तक्षेप न करें।

04— प्रतिवादीगण की ओर से उक्त आवेदन का लिखित जबाब प्रस्तुत कर यह अभिलिखित किया गया कि आराजी नंबर 7/2 रकवा 11.22ए0 स्थित ग्राम खटखरी खुर्द शासन म0प्र0 की भूमि है। आराजी नंबर 7/2 रकवा 0.900हे0 प्रतिवादी क्रमांक 01 के स्वामित्व की भूमि है जो उसे बंटन में प्रदान की गई है जिसका प्रति0क्र01 द्वारा अपने श्रम से सुधार करा लिया गया है। वाद पत्र के साथ जो नजरी नक्शा अनुलग्न “अ” दिया गया है वह भी मौके की स्थित के बिल्कुल विपरीत है। अनुलग्न “ब” में प्रति0क्र01 के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि का चित्रण किया गया है। प्रति0क्र01 की भूमि पर वादीगण का न तो स्वत्व है और न ही आधिपत्य है और न तो मकान ही बना है। प्रति0क्र01 को उक्त आराजी नंबर 7/2/ड रकवा 0.900हे0 म0प्र0शासन है जिसे म0प्र0शासन द्वारा बंटन में दी गई है और वादीगण को बंटन आदेश को निरस्त कराने के संबंध में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करनी चाहिए जो नहीं की गई। उक्त आदेश को इस न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अतः आवेदन पत्र निराधार होने से सव्यय निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

05— प्रकरण न्यायपूर्ण निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न हैं:—

1. क्या प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में है?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है?
3. क्या अपूर्णीय क्षति का बिन्दु वादीगण के पक्ष में है?

—:: विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 का सकारण निष्कर्ष::—

06— वादीगण द्वारा अभिकथित किया गया कि ग्राम खटखरी स्थित भूमि आराजी नंबर 7/2 रकवा 11.22 ए0 के वह लगभग 60-70 वर्ष पूर्व से मकान बनाकर आबाद है। प्रति0क01 के नाम आराजी क्रमांक 7/2 के जुज रकवा 0.900 हे0 भूमि का बंटन हुआ है जिसका नया भूखण्ड क्रमांक 7/2/ड हो गया है। उक्त आवंटित भूमि प्रति0क01 उनके आधिपत्य की होना बताकर वादीगण के आधिपत्य में अवैधानिक हस्ताक्षेप किया जा रहा है, खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा व्यक्त किया गया कि आराजी नंबर 7/2/ड का अंश रकवा 0.900हे0 भूमि आराजी नंबर 7/20 उसे शासन द्वारा आवंटित की गई है जिसके विरुद्ध प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। वादीगण को उसे आवंटित की गई भूमि में कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी द्वारा असत्य आधारों पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसे निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया।

07— वादीगण ने पक्ष समर्थन में राजस्व प्रकरण क्रमांक 22ए70/2028-19 में प्रस्तुत पटवारी प्रतिवेदन दिनांक 10-05-19, स्थल पंचनामा दिनांक 10-05-19, राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन दिनांक 19-07-19, राजस्व निरीक्षक पंचनामा दिनांक 17-07-19 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है तथा कृष्ण कुमार की बोटर आई0डी0, रामचन्द्र कोरी के आधारकार्ड की छायाप्रति, रामचन्द्र एवं कृष्ण कुमार के राशनकार्ड की छायाप्रति, समग्र परिवार आई0डी0 की छाया प्रति एवं नकल खसरा वर्ष 2019-2020 की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन में खसरा वर्ष 2022-2023 की सत्यप्रति प्रस्तुत किया गया है।

08— न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त गढी के न्यायालय का प्रकरण क्रमांक 22ए70/20-18-19 प्रस्तुत पटवारी प्रतिवेदन एवं स्थल पंचनामा दिनांक 10-05-19 के अवलोकन से दर्शित है कि उक्त पंचनामे एवं प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि ग्राम खटखरी खुर्द की आराजी नंबर 7/2/ड रकवा 0.900हे0 राजस्व अभिलेख में कन्हैयालाल पिता मोहन बसोर का नाम पट्टेदार के रूप में दर्ज है जिस पर मौका जांच के समय निर्माण कार्य होना व अवैध कब्जा नहीं पाया गया, जो निर्माण उक्त भूमि पर पाया गया वह आवंटन के पूर्व से वादी मनमोहन व रामचन्द्र का मकान 30 वर्ष पहले से निर्मित होकर निवासरत होना पाया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 19-07-19 में लेख है कि विवादित भूमि पर कृष्ण कुमार पिता इन्द्रमणि कोरी का पक्का मकान पूर्व से बना है तथा इसी विवादित भूमि पर पूर्व से मनमोहन वगैरह की घास फूस की मडई बनाकर निवासरत है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत खसरा वर्ष 2022-23 में भूमि 7/2/5 प्रतिवादी कन्हैयालाल का नाम शासकीय अभिलेखों में दर्ज है।

09— तर्क के दौरान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि उन्हें विधि अनुसार प्राप्त है जिस पर वह काबिज है। वादीगण द्वारा उक्त बंटन को कोई चुनौती नहीं दी गई है। पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर वादीगण का आधिपत्य होना निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला दर्शित नहीं है। अतः आवेदन सव्यय निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया। वादी अधिवक्ता का तर्क है कि भूमि खसरा नंबर 7/2 शासकीय भूमि है जिस पर उनके अतिरिक्त अन्य लोग मकान बनाकर निवासरत हैं। शासन द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में आवंटन किया गया है, किंतु

प्रतिवादी आवंटन आदेश की आड़ में उनके आधिपत्य की भूमि पर हस्ताक्षेप कर रहा है। अतः प्रतिवादी को हस्तक्षेप करने से रोक जावे।

10— राजस्व प्रकरण क्रमांक 22ए70/2018-19 में आहुत पटवारी प्रतिवेदन एवं स्थल पंचनामा की कार्यवाही में विवादित भूमि 7/2 के अंश रकवा पर वादीगण का आधिपत्य होने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उक्त विवादित भूमि 7/2 का अंश रकवा 0.900हे0 प्रतिवादी को आवंटित होना विवादित नहीं है। प्रतिवादी को आवंटित भूमि कौन सी है इसका निर्धारण साक्ष्य के उपरांत गुण-दोष पर किया जा सकेगा। अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेज से वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का स्थापित आधिपत्य होना दर्शित है। न्यायदृष्टांत रामे गोडा विरुद्ध एम. वरदप्पा नायडू ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 4609, प्रताप राई एन. कोठारी विरुद्ध चांद ब्रेगेन्जा ए.आई.आर. 1999 एस.सी. 166 में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया कि जो व्यक्ति किसी सम्पत्ति के स्थापित आधिपत्य में होता है उसका आधिपत्य संरक्षित किया जाना चाहिए और उसे मूल स्वामी भी वैधानिक प्रक्रिया अपनाकर ही हटा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में है।

11— सुविधा के संतुलन के सिद्धांत में इस तथ्य पर विचार किया जाता है कि अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने पर किस पक्षकारों को अधिक असुविधा होगी एवं अपूर्णनीय क्षति से तात्पर्य है, कि वादीगण को ऐसी क्षति कारित हो रही हो, जिसकी धन के रूप में प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकेगी। उपरोक्त विवेचना से वादग्रस्त भूमि प्रथम दृष्टया वादीगण का स्थापित आधिपत्य होना पाया गया है। वादीगण द्वारा अभिवचनित किया गया, कि प्रतिवादी क्रमांक-1 अवैध रूप से वादीगण के वैध आधिपत्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि वादीगण के स्थापित आधिपत्य

में प्रतिवादी क्रमांक-1 द्वारा अवैध हस्तक्षेप किया जाता है, तो वादीगण को प्रतिवादी क्रमांक-1 की अपेक्षा अधिक असुविधा एवं अपूर्णनीय क्षति होगी, ऐसी दशा में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का सिद्धांत भी वादीगण के पक्ष में है।

—:: प्रभावी आदेश::—

12— उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि वादीगण अपने पक्ष के समर्थन में प्रथम दृष्टयां वाद, अपूर्णनीय क्षति और सुविधा का संतुलन प्रमाणित करने में सफल रहा है, अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व्य.प्र.सं. स्वीकार किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है, कि प्रतिवादी क्रमांक-1 ग्राम खटखरी स्थित भूमि आराजी नंबर 7/2 रकवा 11.22 एकड के अंश रकवा जिस पर वादीगण का आधिपत्य है, वादीगण के वैद्य आधिपत्य में किसी भी प्रकार अवैधानिक हस्तक्षेप न तो स्वयं करे और न ही अभिकर्ता के माध्यम कराये।

13— यह आदेश आज दिनांक से एक वर्ष या प्रकरण के निराकरण तक दोनों में से जो भी पहले हो प्रभावी रहेगा।

14— इस आदेश का वाद के अंतिम निराकरण पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

स्थान:—त्योंथर
दिनांक 22.09.2022

(अमित मालवीय)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
त्योंथर, जिला रीवा, म0प्र0